

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 17061/2023

मेसर्स मेपल लज्जरी होम्स, डी-25, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर-302015 अपने पार्टनर श्री विवेक शर्मा, पुत्र श्री एमडी शर्मा, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी 301, द रॉयल अनमोल, 11 तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान) के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सहायक आयुक्त राज्य कर के माध्यम से, वार्ड-द्वितीय, सर्कल-डी, जयपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, झालाना इंगरी, जयपुर-302004।
2. भारत संघ, प्रधान आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय, एनसीआरबी, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 के माध्यम से।

-----प्रतिवादी

-
याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री रवि गुप्ता, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए : श्री जय लोढा, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 2 के लिए : श्री संदीप पाठक, अधिवक्ता

-

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान. मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

प्रकाशनीय

18/04/2024

1. सुना.
2. सहायक आयुक्त, राज्य कर, वार्ड-II, वृत्त-डी, जोन-II, जयपुर, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पारित दिनांक 13.09.2023 के आदेश को चुनौती मुख्यतः इस आधार पर दी गई है कि याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिस कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। इस आदेश को चुनौती प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करने वाली वैधानिक योजना के उल्लंघन के आधार पर भी दी गई है।
3. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, निर्माण एवं विकास व्यवसाय से जुड़े याचिकाकर्ता को खरीदार से फ्लैट की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्रतिफल प्राप्त हुआ और उसने रिट याचिका के पैरा 2 में दिए गए विवरण के अनुसार मासिक रिटर्न दाखिल करते समय समय-समय पर दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी में अपनी जीएसटी देनदारी का भुगतान कर दिया। याचिका में यह भी कहा गया है कि निर्माण पूरा होने से पहले ही, एक दुर्घटना के कारण फ्लैटों की बुकिंग रद्द कर दी गई थी।

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, अनुबंध रद्द होने के कारण आपूर्ति पूरी न होने के कारण, वह अपने द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी का हकदार था। अक्टूबर, 2020; दिसंबर, 2020; मार्च, 2021; जून, 2021; सितंबर, 2021 और दिसंबर, 2021 महीनों के लिए भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी का दावा करते हुए, 07.12.2022 को रिफंड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी याचिकाकर्ता के दावे से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए, याचिकाकर्ता को फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-08 में एक नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-09 में कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद, विभिन्न अवधियों (जैसा कि ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित है) के संबंध में विवादित आदेश पारित किए गए, जिन्हें इस याचिका में चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 (जिसे आगे "2017 के नियम" कहा जाएगा) के नियम 92 में निहित वैधानिक योजना में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो सक्षम प्राधिकारी के लिए अनिवार्य रूप से यह आवश्यक बनाता है कि यदि वह रिफंड के दावे से संतुष्ट नहीं है, तो दावे की प्रस्तावित अस्वीकृति के कारणों को बताते हुए एक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि फॉर्म जीएसटी-

आरएफडी-08 में कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से गैर-वाक् था और इसमें कोई भी कारण शामिल नहीं था। अटकलबाजी के आधार पर, याचिकाकर्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। जब अंतिम आदेश पारित किया गया, तभी यह सामने आया कि रिफंड के दावे को स्वीकार नहीं करने का क्या कारण था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश 2017 के नियमों के नियम 92 (3) की वैधानिक योजना के तहत शामिल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए, विवादित आदेश को रद्द किया जा सकता है और मामले को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से विचार के लिए भेजा जा सकता है।

7. प्रति प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता केवल तकनीकी आधार उठा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जिसमें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकारी ने यह राय बना ली है कि वर्तमान में रिफंड देने का मामला नहीं है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "2017 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार, 2017 के नियमों के नियम 92 में निहित प्रावधानों के साथ जीएसटी-आरएफडी-08 के निर्धारित प्रोफार्मा में कारण बताओ नोटिस जारी किया। दावे को स्वीकार न करने का अस्थायी कारण भी नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया गया था।

याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और अपना संस्करण दिया कि वह कैसे रिफंड का हकदार है। याचिकाकर्ता ने यह नहीं उठाया कि नोटिस नॉन-स्पोकन था प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से इस आधार पर रिफंड का हकदार नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कर का भार खरीददारों पर डाल दिया है और इसलिए ऐसे मामलों में वह रिफंड का हकदार नहीं होगा।

8. प्रतिवादियों के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि किसी भी मामले में, अपील का एक वैकल्पिक और प्रभावी वैधानिक उपाय मौजूद है, इसलिए, रिट याचिका पोषणीय नहीं है और याचिकाकर्ता, यदि कोई दावा करता है कि वह धन वापसी का हकदार है और दावे को खारिज करने वाले प्राधिकारी द्वारा बताए गए कारण मान्य नहीं हैं, तो वह हमेशा अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर सकता है और अपने पक्ष में आदेश के लिए प्रार्थना कर सकता है।

9. रिफंड के दावे के संबंध में योजना 2017 के अधिनियम की धारा 54 के तहत प्रदान की गई है। 2017 के अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के रूप में ज्ञात नियम भी 2017 के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। 2017 के नियमों का अध्याय X रिफंड के लिए

आवेदन पर विचार करने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विस्तृत प्रावधान करता है।

10. अन्य प्रावधानों के अलावा, 2017 के नियमों का नियम 92(3) उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसे अधिकारी द्वारा तब अपनाया जाना चाहिए जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि दावा की गई पूरी राशि या उसका कोई भाग आवेदक को देय नहीं है या उसे वापस नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक होने के कारण, उक्त प्रावधान को त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

“92. धन वापसी स्वीकृत करने का आदेश.-(1) xxxxx

(1 ए) xxxxxx

(2) xxxxxx

(3) जहां समुचित अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करके संतुष्ट हो जाता है कि वापसी के रूप में दावा की गई पूरी राशि या उसका कोई भाग आवेदक को स्वीकार्य या देय नहीं है, तो वह आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 में उत्तर देने की अपेक्षा की जाएगी और उत्तर पर विचार करने के बाद, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश देगा, जिसमें वापसी की राशि को पूरी तरह या भाग में स्वीकृत किया जाएगा, या उक्त वापसी के दावे को अस्वीकार किया जाएगा और उक्त आदेश आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के प्रावधान,

यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक वापसी की अनुमति है:

बशर्ते कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना धन वापसी के लिए कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. उपर्युक्त प्रावधान की एक निष्पक्ष, तार्किक और विवेकपूर्ण व्याख्या यह होगी कि यदि सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि रिफंड का दावा पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार्य नहीं है या किसी अन्य कारण से यह देय नहीं पाया जाता है, तो आवेदक को फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-08 में एक नोटिस जारी करना आवश्यक है, जिसमें उसे निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-09 में जवाब देने के लिए कहा जाएगा। उपर्युक्त प्रावधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल हैं। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है, जहां आवेदक को दावे को अस्वीकार करने के प्रस्तावित कारणों की जानकारी देने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन नियम की उपरोक्त योजना के लिए, प्राधिकारी को आवेदक को रिफंड के दावे के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के अस्थायी निर्णय के कारणों से अवगत कराने के लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने अपने विवेक से यह निर्धारित किया है कि जब भी धनवापसी के दावे को पूर्णतः या आंशिक रूप से खारिज करने के लिए संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उचित अधिकारी द्वारा ऐसी संतुष्टि के कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हुए एक

नोटिस अनिवार्य रूप से जारी किया जाना आवश्यक है। यह प्रावधान 2017 के नियमों में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावे को खारिज करने से पहले आवेदक को पता चल जाए कि उसका आवेदन क्यों खारिज किया जा रहा है ताकि उसे प्राधिकारी को संतुष्ट करने का अवसर मिल सके कि अनंतिम कारण/संतुष्टि सही नहीं है। ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटि को न्यूनतम करना है। यही कारण है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उपरोक्त प्रावधान में शामिल किया गया है, जिसमें उचित अधिकारी को अनिवार्य रूप से ऐसी संतुष्टि के कारणों को बताने, संबंधित आवेदक से उत्तर प्राप्त करने और फिर एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। 2017 के नियमों के नियम 92 के उप-नियम (3) में निहित प्रावधान की भाषा स्पष्ट है

12. अब हम याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिसों (कुल छह) पर गौर करते हैं। सभी नोटिसों में आवेदन की प्रस्तावित अस्वीकृति के कारणों के बारे में एक समान जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है:

"रिफंड आवेदन में आपने कर भुगतान से अधिक रिफंड का कारण बताया है। आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 के अनुसार, आप इस श्रेणी में नहीं आते हैं। करदाता जो दावा कर सकता है, वह श्रेणी,

करदाता जो संचित आईटीसी के रिफंड का दावा कर सकता है।"

हमारे विचार से, यह कोई कारण नहीं है। अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो दिया गया कारण जितना अस्पष्ट हो सकता था, उतना ही अस्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने केवल एक खोखली औपचारिकता पूरी की। उसने यह नहीं बताया कि किन कारणों से प्राधिकारी ने धनवापसी के दावे को अस्वीकार करने के लिए एक अस्थायी संतुष्टि पत्र तैयार किया। अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो बताया गया कारण यांत्रिक है और कुछ भी प्रकट नहीं करता है।

13. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता-करदाता ने यह अनुमान लगाते हुए कि अस्वीकृति का संभावित कारण क्या हो सकता है, अपना उत्तर प्रस्तुत किया।

14. सभी मामलों में प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेशों में पहली बार इस बात का खुलासा किया गया है कि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट क्यों नहीं था कि कोई भी रिफंड कानूनन स्वीकार्य है। 13.09.2023 के विवादित आदेशों में से एक (अक्टूबर, 2020 माह के लिए भुगतान किए गए जीएसटी के रिफंड के दावे के संबंध में) इस प्रकार है:

करदाता द्वारा प्रस्तुत रिफंड आवेदन एवं सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों का अवलोकन तथा विधिक प्रावधानों अनुसार जांच की गयी। बाद अवलोकन यह पाया गया

कि करदाता द्वारा ग्राहक से समय-समय पर प्राप्त अग्रिम राशि पर कर देयता का भुगतान जीएसटीआर -3बी में आयात कर आदेश से ही आयात कर से किया गया है। साथ ही करदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों से स्पष्ट है कि करदाता एवं ग्राहक के मध्य रद्दीकरण समझौता के क्रम में करदाता द्वारा ग्राहक को कर राशि रु 961062/- को कम किया जाकर केवल राशि रु राशि रु 7688938/- का भुगतान किया गया है। इस प्रकार करदाता द्वारा कर का बोझ (कर का भार) ग्राहक पर स्थानांतरित (कर का भार) किया गया है। जीएसटी कर अधिनियम 2017 के रिफण्ड प्रावधानों की धारा 54 की उप धारा (8) निम्नानुसार है :

(8) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, वापसी योग्य रकम निधि में जमा करने के बजाय आवेदक को दी जाएगी, यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है-

(क) -----

(ख) -----

(ग) -----

(घ) -----

(ङ) आवेदक द्वारा भुगतान किया गया कर और ब्याज, यदि कोई हो, या कोई अन्य राशि, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला है; या

उपर्युक्तानुसार रिफण्ड प्रावधानों की धारा 54 की उप धारा (8)(ई) में स्पष्ट है कि करदाता को रिफण्ड तभी जारी किया जा सकता है जब वह कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला है।

उपर्युक्तानुसार व्यवस्था द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि करदाता द्वारा कर का बोझ (भार) ग्राहक पर स्थानांतरित कर दिया गया है (ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाला गया)। तथापि करदाता द्वारा ग्राहक को कुल राशि रु 961062/- नहीं लौटाई गयी है जो करदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट अंकित है। अतः करदाता द्वारा प्रस्तुत रिफण्ड दावा आरजीएसटी/ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(8)(ई) के तहत जारी नहीं होने के कारण करदाता का प्रस्तुत रिफण्ड आवेदन पत्र RFD-01, ARN-AA081222013516M दिनांक 07.12.2022 राशि रु 264000/- देय नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

15. यदि जीएसटी-आरएफडी-08 नोटिस में कारणों के संबंध में जो कहा गया है उसे उन कारणों के साथ जोड़ दिया जाए जो रिफंड के दावे को खारिज करने के लिए आक्षेपित आदेश में दिए गए हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि रिफंड के दावे को खारिज करने के लिए आक्षेपित आदेश में जो कहा गया था वह 2017 के नियमों के नियम 92(3) के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में बिल्कुल भी नहीं कहा गया था, यहां तक कि संक्षेप में भी नहीं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कारण बताओ नोटिस जारी करना एक दिखावा था और प्राधिकरण द्वारा एक खाली औपचारिकता थी, बजाय इसके कि यह एक सार्थक अभ्यास हो जिसमें करदाता को रिफंड के दावे के लिए आवेदन की प्रस्तावित अस्वीकृति के कारणों के लिए अपना स्पष्टीकरण/उत्तर देने की आवश्यकता हो।

16. 2017 के नियम 92(3) में निहित प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करते हैं क्योंकि यह सक्षम अधिकारी को आवेदक को धनवापसी आवेदन को अस्वीकार करने के अपने अस्थायी निर्णय का कारण बताने, उस पर विचार करने और आदेश पारित करने के उद्देश्य से अनिवार्य और बाध्य करता है। अतः, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

17. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि 2017 के नियम 92(3) में निहित, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करने वाले प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। यदि ऐसा है, तो वैकल्पिक उपाय के आधार पर याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति निराधार है। तदनुसार, उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है। उपरोक्त कारणों से, फॉर्म GST-RFD-06 दिनांक 13.09.2023, संख्या ZD080923029414B, ZD080923029531D, ZD0809230295628, ZD0809230294563, ZD0809230294919 और ZD080923029580A में पारित आदेश अपास्त किए जाते हैं। तथापि, मामला प्राधिकारी/उचित अधिकारी को फॉर्म जीएसटी-आरएफडी-08 में उचित नोटिस जारी करने, याचिकाकर्ता का उत्तर प्राप्त करने और फिर कानून के अनुसार उचित समझे जाने वाले आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है।

18. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(भुवन गोयल), जे

(मनींद्र

मोहन

श्रीवास्तव), सीजे

करण/14

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी